राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(43) ग्राविवि/ग्रुप–5/ PMAY-G / M-1 /अ0वि0/2017–18 जयपुर, दि 01 सितम्बर 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र)
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत SECC मेपिंग एवं आवाससॉफ्ट में अतिरिक्त प्रावधान किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक M-12016/26/2016-RH(M&T) दिनांक 30.08.2017

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन के संबंध में आवाससॉफ्ट पर SECC मेपिंग, वरीयता सूचियों में गलत वर्ग का अंकन, गलत जीओ टेग फोटो को हटाने आदि के संबंध में जिलों से प्राप्त समस्याओं के कम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. **अल्पसंख्यक वर्ग को अन्य वर्ग में एवं अन्य वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग में बदलने के प्रावधान–** इस संबंध में मंत्रालय द्वारा गलत इन्द्राज के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं ग्राम सभा के सत्यापन उपरान्त कारण प्रस्तुत करने पर ही एक बार यह सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी। अतः ग्राम पंचायतवार EXCEL में संलग्न प्रपत्र–1 में जिले की संकलित सूचना दिनांक 15.09.2017 तक उपलब्ध करावे। यह अंतिम अवसर होगा।
2. **स्वीकृति उपरान्त ग्रामों की रि–मेपिंग –** इस संबंध में मंत्रालय द्वारा गलत इन्द्राज के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं ग्राम सभा के द्वारा अंतिम वरीयता सूची का ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार सत्यापन कराया जावेगा। इसके उपरान्त गलत मेप किये हुए ग्राम/ग्राम पंचायत एवं लाभार्थियों की कारण अंकित करते हुए संकलित सूची प्रस्तुत करने पर की जा सकेगी। ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़े में आयोजित ग्राम सभा में अनुमोदित कराकर प्रपत्र–2 में दिनांक 15.09.2017 तक उपलब्ध करावे।
3. **विशेष चयनित लाभार्थी का एक ग्राम से दूसरे ग्राम में शिफ्ट करना –** इस संबंध में मंत्रालय द्वारा गलत इन्द्राज के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं ग्राम सभा के द्वारा अंतिम वरीयता सूची का ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार सत्यापन कराया जावेगा। इसके उपरान्त गलत मेप किये हुए ग्राम/ग्राम पंचायत एवं लाभार्थियों की कारण अंकित करते हुए संकलित सूची प्रस्तुत करने पर की जा सकेगी। ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़े में आयोजित ग्राम सभा में अनुमोदित कराकर प्रपत्र–3 में दिनांक 15.09.2017 तक उपलब्ध करावे।
4. **अपात्र लाभार्थी की स्वीकृति निरस्त किया जाना –** इस हेतु आवाससॉफ्ट पर अलग से मॉड्यूल तैयार किया गया है। इस हेतु ग्राम सभा द्वारा निरस्त किये जाने की अनुशंषा किये जाने पर ही स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी। ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़े में आयोजित ग्राम सभा में अनुमोदित कराकर प्रपत्र–4 में दिनांक 15.09.2017 तक उपलब्ध करावे।
5. **समान नाम वाले लाभार्थियों की गलत जीओ टेग फोटो हटाना –** लाभार्थी के आवास की पुनः जीओ टेग फोटो उपलब्ध कराने पर राज्य स्तर से गलत फोटो हटायी जा सकेगी। प्रथम किश्त हस्तानांतरण उपरान्त जीओ टेग फोटो में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
6. **पात्र लाभार्थी जिनका नाम त्रुटिवश हटा दिया गया, को जोड़ना –** इस हेतु जिला स्तर पर गठित जिला अपीलेट कमेटी को प्राप्त अपीलों की जांच उपरान्त सत्यापित किये जाने का अधिकार पूर्व में उपलब्ध होने के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमत नहीं किया गया है।

संलग्न प्रपत्र– 1, 2, 3 एवं 4

भवदीय,

(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता,ग्राविवि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो.एवं.मू) ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

1. अल्पसंख्यक वर्ग को अन्य वर्ग में एवं अन्य वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग में बदलने हेतु प्रपत्र –1

क्र. सं.	PMAY-G ID	नाम लाभार्थी	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला	वर्तमान वर्ग (अल्पसंख्यक / अन्य)	प्रस्तावित सही वर्ग

2. स्वीकृति उपरान्त ग्रामों की रि–मेपिंग हेतु प्रपत्र–2

क्र. सं.	वर्तमान मेपिंग अनुसार				सही मेपिंग हेतु प्रस्तावित	
	ग्राम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति

3. विशेष चयनित लाभार्थी का एक ग्राम से दूसरे ग्राम में शिफ्ट करना प्रपत्र –3

क्र. सं.	वर्तमान मेपिंग अनुसार						सही मेपिंग हेतु प्रस्तावित		
	PMAY-G ID	नाम लाभार्थी	ग्राम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला	ग्राम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति

4. अपात्र लाभार्थी की स्वीकृति निरस्त किया जाने वाला प्रपत्र–4

क्र. सं.	PMAY-G ID	नाम लाभार्थी	ग्राम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला	ग्राम सभा दिनांक.......... के अनुसार अनुमोदित

उक्त सूचना (प्रपत्र–1, 2, 3 एवं 4) के साथ दोषी अधिकारी / कार्मिकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण पीडीएफ फॉर्मेट में निम्न प्रारूप में संलग्न की जावे –

दोषी अधिकारी / कार्मिका का नाम व पद	की गई कार्यवाही